नोटिस

माननीय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश संख्या–328/2020 (प्रशासनिक) दिनांकित 15.12.2020 के अनुपालन मं जनपद न्यायालय, बाराबंकी से सम्बन्धित सम्मन व नोटिसों के प्रकाशन हेतु वर्ष 2021 में समाचारपत्रों को अधिकृत किया जाना है जिसके अनुकम में इच्छुक स्थानीय व राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों के आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं कि जो भी समाचारपत्र न्यायालय से सम्बन्धित सम्मन व नोटिस के प्रकाशन हेतु इच्छुक हों, वे एक सम्मन की दर तथा अतिरिक्त पक्षकार हेतु यदि कोई अतिरिक्त दर आवश्यक हो तो उसके सम्बन्ध में अपनी दर के साथ आवेदनपत्र जिला न्यायाधीश, बाराबंकी के कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 की सांय 4.00बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रकाशन हेतु सूचीबद्ध किये जाने वाले स्थानीय एंव राष्ट्रीय समाचारपत्रों के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि ऐसे समाचार पत्र पंजीकृत एवं विज्ञापन हेतु सरकारी संस्था डी0ए0वी0पी0 से अधिकृत होने चाहिये।

निर्धारत मानक के विपरीत प्रस्तुत समाचारपत्रों एवं निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सूचीबद्धता के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

17/12/2020

(इरफान अहमद)
अध्यक्ष,
नोटिस/सम्मन प्रकाशन हेतु समाचार पत्र समिति,
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, न्या0सं0–05,
बाराबंकी।
दिनांक 17.12.2020